न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 06/2024
स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन।

प्रार्थी

बनाम

श्री मुकेश कुमार साजनराम भिड़ासरा निवासी वार्ड नं0 09, 3 डीडब्ल्यूएम पुलिस थाना रावतसर।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री चन्द्रभान भाटिया अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः–19.12.2024

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2023 को दौराने नाकाबंदी संगरिया की तरफ से एक बोलेरो पिकअप गाडी नं0 RJ-49-GA-5279 आती दिखाई दी जिसे रूकवाकर सडक किनारे साईड में खड़ा करवाया। बोलेरो पिकअप गाड़ी पर केवल चालक है। चालक का नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र साजनराम भिडासरा उम्र 30 साल निवासी वार्ड न0 09, 3 डीडब्ल्यूएम पुलिस थाना रावतसर होना बताया जिसको सूचना मुखबीर से अवगत कराया गया। बोलेरो पिकअप का निरीक्षण किया गया तो बोलेरो पिकअप बरंग सफेद है जिसके चौसिस नo MA1ZN2TNKN1J87689 व इंजन न0 TNN1J97729 है, पिकअप डाला में 11 ड्रम व 4 जरिकेन रखे है जिनके ढक्कन खोलकर देखा तो सभी ड्रमों व जरिकनों में डीजल भरा हुआ मिला। ड्रमों व जरिकनों में भरे डीजल की मात्रा को गेज से मापा गया तो सभी 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल भरा मिला व 4 जरिकनों में जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। शक्स मुकेश कुमार को इतनी अधिक मात्रा मे डीजल अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत् लाईसैस / परमिट पुछा तो नहीं होना बताया। शक्स मुकेश कुमार द्वारा इतनी मात्रा में बिना लाईसैस / परमिट के डीजल को अपने कब्जे में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दफा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप गाडी नं0 RJ-49-GA-5279 को 10 लाख की सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामे की मय शर्तों पर थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन को नियमानुसार सुपुर्द पर दिये जाने के आदेश दिये गये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:47:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहन महेन्द्रा बोलेरों पिकअप RJ-49-GA-5279 को डीजल से भरे हुए ड्रमों को जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में बताया गया है कि उक्त राजस्थान राज्य से बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल खरीद कर लाया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा तय किये गये आदेश नियमों की अवहेलना हुई है व राज्य सरकार के राजस्व में हानि हुई। अप्रार्थीयान के पास लाईसेन्स व परमिट बाबत कोई कागजात नहीं होना बताया है। जब्तशुदा वाहन मय डीजल एक ही व्यक्ति का है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के इतनी मात्रा में डीजल तेल रखना व परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने बहस में निवेदन किया कि मुकेश कुमार पुत्र श्री साजनराम, साजनराम पुत्र भागीरथ, विरेन्द्र पुत्र साहबराम व राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासीगण चक 3 डी.डब्ल्यू. एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के है। उपरोक्त मुकदमा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार जब्त शुदा डीजल की सुपुर्दगी हेतु अण्डरटेकिंग देने का आदेश फरमाया गया है। मिकरान अण्डरटेकिंग लेते है कि डीजल सुपुर्दगी पर लेने के उपरान्त उक्त प्रकरण में जो भी आदेश इस न्यायालय जारी करेगा, उसके मुताबिक आदेश की पालना करने के लिए पाबंद रहेंगे। अगर यह न्यायालय मिकरान के विरूद्ध आदेश पारित कर डीजल की राशि जमा करवाने का आदेश पारित करता है तो मिकरान डीजल की राशि जमा करवाने के लिए पाबंद रहेंगे। अतः अण्डरटेकिंग लिख दी है कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। अतः निवेदन किया किया कि जब्तशुदा डीजल लौटाया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:-

1. राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानग'ढ जंक्शन द्वारा अप्रार्थी मुकेश से 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल व 4 जरिकनों में जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल भरा जब्त किया गया। जब्तशुदा सामान एक ही अप्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र साजनराम भिड़ासरा से जब्त किया गया है।
2. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में जब्तशुदा डीजल अप्रार्थी व अप्रार्थी के चार कृषक साथी अपने कृषि कार्य हेतु पंजाब से एक साथ लेकर आना बताया है। परन्तु अप्रार्थी व अप्रार्थी के साथी इस न्यायालय में यह सिद्ध नहीं कर पाये कि चारों एक साथ उक्त जब्तशुदा डीजल लाये थे।
3. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में चारों अप्रार्थीयान द्वारा उक्त दिनांक के जब्तशुदा डीजल के बिल प्रस्तुत किये गये है। उक्त प्रस्तुत बिल अप्रार्थी व अप्रार्थी के साथी साजनराम, विरेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ राजू [illegible] चक 03 डीडब्ल्यूएम तह0 रावतसर के ही है, यह सिद्ध नहीं कर [illegible] बिलों से अप्रार्थी व अप्रार्थी साथियों का संबंध है।
4. पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश 1999 की धारा 2एफ के तहत 2500 लीटर तक एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:47:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सकता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा 2500 लीटर से अधिक डीजल का परिवहन किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। न ही जांच के वक्त लाईसेन्स / परमिट की कॉपी पेश की।

अतः जब्तशुदा 11 ड्रमों में प्रत्येक में 210 लीटर डीजल व 4 जरिकनों जिनमें प्रत्येक में 60 लीटर डीजल, इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। पुलिस परिवाद में अंकित वाहन बोलेरो पिकअप गाडी नं0 RJ-49-GA-5279 को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में कुल 2550 लीटर डीजल के निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:47:05 IST
Reason: SelfAttested